अध्याय 6 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

कम्पनी की चरण III विस्तारण परियोजना को 11.82 एमएमटीपीए से 15 एमएमटीपीए तक रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने तथा मूल्य वर्द्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए 2006 में कल्पना की गई थी। वर्ष 2009 में, एक पॉली प्रोपीलेन यूनिट को विस्तार के कार्यक्षेत्र में जोड़ा गया तथा फिर वर्ष 2010 में, एक सिंगल प्वाइंट मूरिंग सुविधा की भी कल्पना की गई थी। परियोजना की कुल लागत को ₹15,008 करोड़ तक अनुमानित किया गया जिसमें से कम्पनी ने मार्च 2016 तक ₹14,832 करोड़ की राशि व्यय की थी। अक्टूबर 2011 तक चालू होना कल्पित चरण III विस्तारण परियोजना सितम्बर 2014 में पूरी हुई। इसी प्रकार, पॉलीप्रोपीलेन यूनिट (पीपीयू) को जून 2015 में 34 माह के विलम्ब के पश्चात् चालू किया गया। सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) सुविधा को 16 माह के विलम्ब के पश्चात् अगस्त 2013 में चालू किया गया।

चरण III विस्तारण परियोजना की योजना तथा क्रियान्वयन की समीक्षा अवधि के दौरान देखे गए प्रमुख मामलों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:

- योजना में कमियां पाई गई जिसके कारण परियोजना संप्रत्ययीकरण स्थिति के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप दो से अधिक वर्षों का अधिक समय तथा ₹2,509 करोड़ का लागत आधिक्य हुआ।
- बाहरी उधारों को सम्बद्ध विदेशी मुद्रा अस्थिरता जोखिम का बचाव किए बिना प्रबंधित किया गया। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2016 तक ऋण पुन: चुकाने पर ₹13.70 करोड़ (निवल मुद्रा बचाव लागत) की हानि हुई। परियोजना हेतु निधियां आवश्यकता से अधिक आहरित की गई जिसके परिणामस्वरूप बिना ब्याज वाले चालू खाते में ₹768.46 करोड़ निष्क्रिय पड़े रहे।
- चयनित 87 प्रमुख ठेकों में, 84 मामलों में सामान्य ठेके के क्रियान्वयन में विलम्ब हुए थे।
- कैप्टिव पावर प्लांट के विलम्ब से चालू होने के परिणामस्वरूप विभिन्न इकाईयां निष्क्रिय रही भले ही वे यांत्रिक रूप से पूर्ण थी।

- यद्यपि एसपीएम को अगस्त 2013 में चालू किया गया था तथापि इसे इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा संबंधित केवर्न के पूरा न होने के कारण प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप मालभाड़े में बचत, विलम्ब शुल्क का परिहार तथा सकल रिफाइनरी लाभ (जीआरएम) में सुधार जैसी एसपीएम सुविधा की स्थापना के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।
- पेट्रोकेमिकल फ्लूडाइज्ड कैटालिटिक क्रेकिंग यूनिट (पीएफसीसीयू) के साथ पुनर्निर्मित हाइड्रोक्रैकर इकाईयों के गैर-तुल्यकालन के कारण 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान उच्च मूल्य उत्पादों के स्थान पर निम्न मूल्य उत्पादों का उत्पादन हुआ और ₹ 6328.76 करोड़ के राजस्व की परिणामी हानि हुई।
- अगस्त 2014 से मई 2015 तक की अवधि के दौरान अभिकल्पित प्राप्ति के अनुसार प्रोपीलीन का गैर-उत्पादन एवं पीपीयू में पॉली प्रोपीलीन एक उच्च मूल्य उत्पाद के रूप में गैर-रूपांतरण के परिणामस्वरूप ₹ 382.83 करोड़ के लाभ की हानि हुई।
- 2015-16 के दौरान विभिन्न उपयोगिताओं में भाप की अधिक खपत थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 231.94 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा जारी पर्यावरण निदेशों के अनुपालन में कम्पनी की ओर से विलम्ब हुए थे।

6.2 सिफारिशें

- भविष्य में, समय एवं लागत की अधिकता से बचने के उद्देश्य से परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पूर्व कम्पनी एक व्यापक योजना बनाएं। निधियों के अधिक आहरण से बचने के लिए परियोजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकता वास्तविक आधार पर निर्धारित की जाय।
- कम्पनी पावर प्लांट जैसी उपयोगिताओं के सामयिक समापन को सुनिश्चित करे जिसका अन्य इकाईयों को चालू करने पर प्रपाती प्रभाव पड़ता है। कम्पनी निष्क्रियता एवं कम-उपयोग से बचने के लिए प्रसंस्करण इकाईयों का क्रमबद्ध समापन एवं उचित एकीकरण सुनश्चित करे।

- कम्पनी एसपीएम के उपयोग को अधिकतम करने के लिए तत्काल प्रयास करे।
- कम्पनी सभी प्रसंस्करण यूनिटों की क्षमता की इष्टतम उपयोगिता सुनिश्चित करे।
- कम्पनी विभिन्न प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा उपयोगिताओं की खपत का मूल्यांकन करने के लिए प्रणाली विकसित करें ताकि इन उपयोगिताओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2017

(नंद किशोर)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक